



भारत सरकार

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(गोपनीय शाखा)

दुरभाष सं०:-06432-232680

फैक्स-06432-232967

ई-मेल:-dcdeoghar@gmail.com

आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश सं०-150(HS), दिनांक-23.03.2020 के आलोक में कोरोना वायरस (COVID19) से संक्रमित व्यक्ति/मरीज, उनके रिश्तेदार, चिकित्सा में संलग्न डॉक्टर तथा सहयोगी चिकित्सकीय कर्मियों के इस आपातकालीन स्थिति में कर्तव्य पर डटे रहने की महत्ता को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये आदेश दिया जाता है कि ऊपरवर्णित सभी से संबंधित कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं की जाय तथा इसमें सख्ती से गोपनीयता बरती जाय।

अतः मीडिया के किसी की भी प्रभाग (Print/Electronics/Web/Social Media) को प्रभावित या संक्रमित व्यक्तियों के नाम, पता तथा उनके माता-पिता सहित, सगे संबंधियों, चिकित्सक एवं सहयोगी कर्मियों का नाम/पता को गोपनीय रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

इसके साथ ही, यह भी आदेश दिया जाता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित से व्यक्ति उनके माता-पिता/सगे संबंधी/चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहयोगी कर्मियों से किसी मीडिया द्वारा Interview भी नहीं लिया जायेगा।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किया जाना धारा 188 भारतीय दण्ड विधान एवं झारखण्ड महामारी (COVID19) अधिनियम, 2020 की धारा-19 तथा महामारी अधिनियम-1897 की धारा-3 के तहत दण्डनीय अपराध होगा एवं तदनुसार दोषी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापक.....410/गो०, देवघर, दिनांक...03.....अप्रैल, 2020 ई०।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, देवघर/उप विकास आयुक्त, देवघर/नगर आयुक्त, नगर निगम, देवघर/अपर समाहर्ता, देवघर/अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर/सारठ/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला/सभी अंचल अधिकारी, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।